क्रम0सं0–279

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0 / एल0
डब्लू0 / एन0पी091 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

आसाधारण

विधायी, परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ शुक्रवार 31 जुलाई, 2009
श्रावण 9, 1931 शाक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग–2

———————

संख्या : 1462 / छ:पु0–2–08–700(131)–07
लखनऊ, 31 जुलाई 2009

अधिसूचना

सा0प0नि0–36

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 29 सन् 2005) की धारा 11 व 25 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात :–

उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

परिभाषायें

2—(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2009 से है,

(ख) ''प्रारुप '' का तात्पर्य इस नियमवाली से संलग्न प्रपत्र से है,

(2) इस नियमवली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमश : समनुदेशित हैं।

आवेदको के पूर्ववृत्त का सत्यापन

3—(1) प्रत्येक नई अनुज्ञिप्त के निर्गम या उसके नवीकरण हेतु नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करने के दौरान अपने पूर्ववृत्त के के लिए सम्यक रुप से भरा गया 03 प्रतियों में प्ररुप—1 संलग्न करेगा। यदि आवेदक कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संगम हो तो आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक स्वत्तधारी, बहुसंख्यक शेयर धारक साझेदार या कम्पनी निदेशक, मानो वे भी आवेदक हो, हेतु प्रारुप—1 संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन—पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय फीस के भुगतान को दर्शाने वाला डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक संलग्न होगा।

(3) ऐसे आवेदन—पत्र की प्राप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह आवेदन—पत्र की विषयवस्तु और आवेदक के विवरणों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक समझे।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी सम्बन्धित जिले के जिले पुलिस अधीक्षक से जहाँ अभिकरण अपनी गतिविधियां प्रारम्भ करना चाहे, अनापत्ति प्रामण—पत्र प्राप्त करेगा। इस प्रयोजन के लिए वह अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र और उसके संलग्नक की एक प्रति सत्यापन और रिपोर्ट के लिए उसे भेजेगा।

(5) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम पूर्ववृत्त प्रारुप भरा जाता है, के पूर्ववृत्त के सत्यापन कराने के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी देगा :—

(एक) क्या आवेदक अथवा कम्पनी ने या तो व्यक्तिशः या अन्य की साझेदारी में पूर्वतर में कोई प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया है, यदि ऐसा है तो उसका विवरण और

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(दो) क्या आवेदक के पास विशेष अर्हता अथवा दक्षता है जिससे प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के संचालन में उसे सुविधा मिल सके।

निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन

4—(1) इसके पूर्व कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त अथवा काम पर रखा जाये, अभिकरण निम्नलिखित में ये किसी एक या अधिक रीति से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के बारे में स्वयं का समाधान करेगी।

(क) अभिकरण व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का स्वयं सत्यापन कर सकेगा।

(ख) अभिकरण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण–पत्र पर निर्भर कर सकेगा।

परन्तु चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन विधिमान्य हो और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत एतद्धीन यथाविहित अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के संबध के कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो, परन्तु यह विधिमान्य हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो।

(ग) अभिकरण जिला पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष अधिकारी अथवा उससे उच्च रैक के प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पुलिस प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर भरोसा कर सकेगा।

परन्तु खण्ड (क) (ख) और (ग) में उल्लिखित रीति से प्राप्त रिपोर्ट निर्गत होने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए ही विधि मान्य होगी।

(2) सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रुप में नियोजन पाने या लगाये जाने का इच्छुक व्यक्ति अभिकरण को प्रारुप दो प्रस्तुत करेगा यदि उक्त व्यक्ति पिछले पॅाच वर्षो के दौरान एक से अधिक जिलो में रहा हो तो प्रारुपों की संख्या जिलों की संख्या के अनुसार होगी।

(3) सुरक्षा अभिकरण प्रारुप में भरे गये ब्योरों की सत्यता की जांच या तो स्वयं करेगा या प्रारुप को सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजकर कराएगा।

(4) पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र प्रारुप एक में भरा जाएगा जिसके साथ नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय 500 रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक संलग्न होगा।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(5) पुलिस प्राधिकारी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करेगे और जहां व्यक्ति निवास कर चुकने अथवा निवास करने का दावा कर रहा है, उस स्थान पर जाकर वहाँ के सम्मानित निवासियों से उसकी पहचान स्थापित करेगी और उसकी ख्याति के बारे में सुनिश्चित करते हुए व्यक्ति के चरित्र व पूर्वत्त का सत्यापन करेगी। वे चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट तैयार करने से पहले संबद्व पुलिस स्टेशन के पुलिस अभिलेखों तथा जिला पुलिस मुख्यालय के अन्य अभिलेखों का भी अवलोकन करेगें। इस रिपोर्ट में व्यक्ति द्वारा चरित्र व पूर्ववृत्त प्रारुप में किये गये प्रत्येक दावे पर पुलिस की टिप्पणी, तथा सत्यापन अवधि में जीविका के साधन सहित उसकी गतिविधियों के बारे में एक सामान्य रिपोर्ट भी होगी। पुलिस यह विनिर्दिष्ट रुप से अभिकथन करेगी क्या ऐसी समयावधि में व्यक्ति के विरुद्व कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा कारावास के दण्डनीय अपराध के लिए उसके विरुद्व सिद्व दोष हुआ है।

(6) पुलिस प्राधिकारी विनिर्दिष्ठ रुप से यह टिप्पणी करेगें कि क्या काम पर रखे जाने वाला या नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, जो प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के सत्यापन के अधीन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करेगा।

(7) पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि चरित्र अथवा पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत्त प्रारुप की प्राप्ति के 60 दिनो के भीतर जारी कर दी जाये।

(8) किसी व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त संबधी पुलिस की रिपोर्ट को गोपनीय श्रणी में रखा जाएगा। इसे चरित्र व पूर्ववृत्त के लिए अनुरोध करने वाली सुरक्षा अभिकरण के पदाभिहित अधिकारी के नाम से होगी।

(9) एक बार चरित्र व पूर्व रिपोर्ट के जारी होने के बाद यह तीन वर्षो तक विधिमान्य होगी।

(10) पुलिस सत्यापन के आधार पर अथवा उनके स्वयं द्वारा सत्यापन के आधार पर सुरक्षा अभिकरण प्रारुप–3 में व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगी। यह प्रमाण पत्र उस सुरक्षा अभिकरण के अधीन उस व्यक्ति के कर्मचारी न होने के बाद भी, सुरक्षा अभिकरण द्वारा वापस नही लिया जा सकेगा।

सुरक्षा अभिकरण 5–(1) नियत्रंक प्राधिकारी, सुरक्षा गार्डो के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूत पूर्व सैनिको और पुलिस कार्मियों को केवल संघनित पाठयक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में निदेश और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवशो में होगा।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(2) प्रशिक्षण में निम्न विषय होगे, अर्थात :–

(क) जनता में आचरण और वर्दी को सही ढगं से धारण करना,.

(ख) शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण :

(ग) शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भवन या आपर्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा :

(घ) अग्नि शमन :

(ड.) भीड़ नियन्त्रण,

(च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच,

(छ) अग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंको को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं,

(ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान

(झ) प्राथमिक चिकित्सा

(त्र) संकट से निपटना और आपदा प्रबन्धन

(ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिए अनिवार्य तथा दूसरो के लिए वैकल्पिक)

(ठ) अवर्जित आयुधों तथा अग्नेयास्त्र का उठाना, रखना और संचालन (वैकल्पिक)

(ड) भारतीय दण्ड संहिता का प्रारम्भिक ज्ञान, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, शस्त्र अधिनियम (केवल प्रभावी धाराये), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराये)

(ढ) पुलिस तथा सैन्य बलो के रैक के बैज,

(ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान,

(त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (उदाहरण के लिए सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण), और

(थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल सुपरवाइजरों के लिए)।

(3) सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलापूर्वक पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्था या संगठन द्वारा प्रारुप 4 में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी समय–समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा। सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।

(5) सभी प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सफल प्राशिक्षणार्थियों की सूची उसे प्रस्तुत करेगे।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

सुरक्षा गार्डो के लिए शारीरिक स्वस्थता का मानदण्ड,

6– (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रुप में नियोजित किये जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक स्वस्थता के मानको को पूरा करता है,

(एक) कद, 160 से.मी. (महिला 150 से.मी.), वजन कद वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 से.मी. जो 04 से.मी. फूलना चाहिए (महिलाओं के लिए सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नही है)

(दो) नेत्र दृष्टि–दूर 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा इसके बिना वर्णाधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगो को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरो तथा प्रदर्श में अरबी के अंको को पढ़ने और उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए।

(तीन) संहतजानुक (Knock-Knee) चिपटा पैर से मुक्त, छह मिनट में एक किलोमीटर तक दौड़ने योग्य

(चार) श्रवणः दोष से मुक्त हो, सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हों।

(पांच) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।

(2) अभ्यर्थी किसी छुआ–छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो। वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाये या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाये।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात, उसकी अन्तिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदण्ड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

(3) (क) भर्ती की प्रक्रिया में भूत पूर्व सैनिको को अधिमान दिया जाएगा।

पर्यवेक्षको के लिए उपबन्ध

7– (1) अनधिक 15 निजी सुरक्षा गार्डो के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।

(2) यदि निजी सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसर में सुरक्षा ड्यूटी पर नही होते है और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहारिक नही होता अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षको को प्रतिनियुक्ति करेगा ताकि कम से कम प्रत्येक छह निजी सुरक्षा गार्डो के लिए सहायता, परामर्श और पर्यवेक्षण हेतु एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

अनुज्ञप्ति की स्वीकृत के लिए आवेदन करने की रीति

8— (1) उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृत के लिए किसी अभिकरण द्वारा प्रत्येक आवेदन प्रारुप पांच में नियंत्रक प्राधिकारी को किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक संलग्न होगा जिसमें नियत्रंक प्राधिकारी को संदेय धारा 7 के खण्ड (3) के अधीन यथा विहित फीस का भुगतान दर्शाया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र या तो व्यक्तिगत रुप से नियत्रंक प्राधिकारी को परिदत्त किया जायगा या उसे पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र की प्राप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी, उस पर आवेदन पत्र की प्राप्ति का दिनांक उल्लिखित करने के पश्चात आवेदक को अभिस्वीकृत प्रदान करेगा।

अनुज्ञप्ति की स्वीकृति

9— (1) नियंत्रक प्राधिकारी, नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात तथा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं स्वयं आवेदक की उपयुक्तता के सबधं में समाधान करने के पश्चात प्रारुप पांच में निजी सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने आधिकारी के माध्यम से निजी सुरक्षा अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डो और पर्यवेक्षको को दिये गये प्रशिक्षण और दक्षता का सत्यापन कर सकते है।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणो, जो अपेक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शर्तों का अनुपालन न कर सके हो, की अनुज्ञप्ति की निरर्न्तता या अन्यथा पर पुर्न विचार कर सकते है।

अनुज्ञप्ति की

10 (1) अनुज्ञप्ति धारी नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित निजी सुरक्षा सेवा से संबधित प्रशिक्षण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियम समय सीमा के भीतर प्राप्त करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति धारी अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अभिकरण को बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता तथा मुख्य व्यवसाय के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(3) अनुज्ञप्ति धारी अभिकरण को बनाने वाले व्यक्तियों के पता में किसी परिर्वतन, प्रबन्धन में परिर्वतन के संबध में ऐसे परिर्वतन के सात दिनो के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) अनुज्ञप्ति धारी निजी सुरक्षा अभिकरण में कर्तव्यों के दौरान अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण द्वारा नियुक्त काम पर रखे गये सुरक्षा

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

गार्ड या पर्यवेक्षको के विरुद्व अभिकरण के व्यक्तियों के विरुद्व विरचित आपराधिक मामलो के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी को तत्काल सूचित करेगा । ऐसे संसूचना की एक

प्रतिलिपि उस पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को भी भेजी जायेगी जहां आरोपी व्यक्ति निवास करता है।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस नियमावली में उन शर्तों, के अनुसार जिन पर अनुज्ञप्ति दी गयी है, सुरक्षा गार्डो के लिए विहित शारीरिक मापदण्डो और प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(6) इस नियमावली में उपबन्धित के सिवाय, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए भुगतान की गयी फीस अप्रति देय होगी।

शस्त्र लाइसेस को जारी करने की शर्तें और इसका उपयोग

11–(1) कर्मचारी सुरक्षा गार्ड के नाम से, जब वह शस्त्र का उपयोग करे, लाइसेंस लिया जायेगा।

(2) वह सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित वार्षिक लक्ष्यभेदन अभ्यास करवायेगा।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण

12–(1) प्रत्येक अभिकरण अनुज्ञप्ति की नवीकरण के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति की नवीकरण के लिए वही फीस ली जायेगी जैसी कि

(एक) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में उपबन्धित है।

(दो) अनुज्ञप्ति की नवीकरण के लिए आवेदन का प्रारुप वही होगा जैसा मूल अनुज्ञप्ति के आवेदन का प्रारुप है।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें

13–(1) अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

(एक) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी की अधिकारिता में अपने कारोबार का प्रधान स्थान बनाये रखता है।

(दो) आवेदक अपने निजी सुरक्षा गार्डो और पर्यवेक्षकों के लिए अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखता है।

(तीन) आवेदक अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन करना जारी रखता है।

(चार) पुलिस प्राधिकारियों को आवेदक की अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने पर कोई आपत्ति नही है।

अपील और इसकी प्रक्रिया

14–(1) अधिनियम की उपधारा (1) अधीन प्रत्येक अपील प्ररुप 7 में की जायेगी। जिसपर व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता के हस्ताक्षर होगे आर इसे सचिव, गृह विभाग को स्वयं दिया जायेगा या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जायेगा।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

(2) अपील को अधिनियम की धारा 14 के अधीन दाखिल किया जायेगा। प्रत्येक अपील के साथ सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को देय रु0 5000–का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चेक लगाया जायेगा।

अभिकरण द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली पंजी

15– अभिकरण द्वारा अधिनियम के अधीन अनुरक्षित की जाने वाली अपेक्षित पंजी प्ररुप आठ में रखी जायेगी।

फोटो पहचान पत्र

16–(1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा के अधीन प्रत्येक फोटो पहचान पत्र नौ में जारी किया जायेगा।

(2) फोटो पहचान पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन चित्र निजी सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम अभिकरण का नाम और उस व्यक्ति की पहचान संख्या होगी जिसको फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है।

(3) फोटो पहचान पत्र में अभिकरण में व्यक्ति की स्थिति और तारीख, जिस तक फोटो पहचान–पत्र विधिमान्य है, का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(4) फोटो पहचान पत्र अद्यतन रखा जाएगा और विवरण में हुए किसी भी परिर्वतन को उसमें दर्ज किया जायेगा।

(5) निजी सुरक्षा गार्ड को जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र एक बार निजी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति समाप्त होने या उसे काम से हटा दिये जाने के पश्चात् जारीकर्ता अभिकरण को वापस करना होगा।

(6) फोटो पहचान–पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की सूचना तत्काल जारीकर्ता निजी सुरक्षा अभिकरण को देनी होगी।

अन्य शर्ते

17–(1) चाहे निजी सुरक्षा अभिकरण अपने निजी सुरक्षा गार्ड के लिए ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करे, या न करे, इसके होते हुए भी, प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डो को ।

(क) अभिकरण का सुभेदक करने वाला बाजू बेज,

(ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज

(ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बायी जेब में रखी जायेगी।

(घ) फीते और सुराख सहित जूते।

(ड.) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर अभिकरण का सुभेदक चिह्नन भी हो सकता है, जारी करेगा और उन्हें पहनने का आवद्वक अनिवार्य करेगा।

(2) निजी सुरक्षा गार्ड, जब वह छुट्टी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किये जाने वाले वस्त्र ऐसे होगे जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करे। विशेष कर, वे न तो बहुत तंग हो और नही बहुत ढीले होगे, जिससे उसकी गतिविधियों या अंगो को मोड़ने में बाधा हो।

(3) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड अपने पास एक नोट–बुक और एक लेखनी रखेगा।

(4) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड, जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान–पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

अधिनियम और

18–(1) सुरक्षा गार्डो के नाम, पूर्ण रुप से जब भी वे अभिकरण की सेवा

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

नियमावली में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के साथ–साथ सभी अभिकरण

को छोड़ते है, कार्य मुक्त होने के अडतालिस घण्टे के भीतर पूर्व विवरण सहित नियंत्रक प्राधिकारी/संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगें।

(2) सुरक्षा मानव शक्ति में किसी वृद्वि की सूचना ऐसे होने के अड़तालिस घण्टे के भीतर पूर्व विवरण लिखित रुप में देगें।

(3) सभी संवेदनशील स्थापनाओं या धार्मिक स्थलों सहित सामान्य भीड़ भाड़ वाले स्थानो और भीड़भाड़ वाले स्थानो अर्थात तटो, शापिंग मालो आदि जैसा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हो और जिनका प्रबन्धक निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा किया जा रहा हो, के संबध में सुरक्षा अभिकरणो के लिए आज्ञापक होगा कि वे अभिकरण की मानव शक्ति आदि के संबध में विवरण उपलब्ध कराये और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण पुलिस सत्यापन कराया जायेगा। अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे स्थान में किये गये किसी संविदा या निरस्त किये गये किसी संविदा की सूचना अड़तालिस घण्टे के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी/पुलिस अधीक्षक को दे।

(4) अपने सुरक्षा गार्डो और परिवेक्षको आदि की तैनाती के संबध में एक विस्तृत रिपोर्ट नियंत्रक प्राधिकारी और संबधित जिला के पुलिस अधीक्षक को वार्षिक रुप से देगें।

19 यदि किसी निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 में दी गयी किसी विधि का उलघंन अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के दौरान प्रकाश में लाया जाता है तो बिना समय नष्ट

किये

वह इसे पुलिस को सूचित करेगा।

20 प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण ततसमय प्रवृत्त विधियों के सभी उपबन्धो का पालन करेगा।

आज्ञा से

(कुवंर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

प्ररुप 1

(नियम 3 देखिये)

आवेदक के पूर्ववृत के सत्यापन के लिये प्रारुप

आवेदक का अंगूठा निषान.......................................

आवेदक के हस्ताक्षर..

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्ररुप संख्या	पुलिस सत्यापन के लिये प्रारुप प्रेषित करने के लिये पुलिस थाने का नाम	तारीख

फीस रकम रु0.........................कद/मांग देय ड्राफ्ट.......................बैंक का नाम..................मांग देय ड्राफ्ट सं.

जारी करने की तारीख........................

कृपया फार्म भरने से पूर्व अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़े। कृपया स्प्ष्ट अक्षरों में भरें:

(सावधान : कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्रारुप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपान से उम्मीदवार अनुज्ञप्ति देने के लिये अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1. आवेदक का नाम (अद्याखर की अनुमति नही है) :

   अन्तिम नाम .... प्रथम नाम..........................

2. यदि अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नामो के) का उल्लेख करें...

3. लिंग (पुरुष/महिला)....................................4.. जन्म तिथि...

5. जन्म–स्थान : ग्राम/टाउन......................... जिला............................राज्य व देश......................

6. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो)

   आद्याक्षर अनुज्ञात नही है...

7. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो)

   आद्याक्षर अनुज्ञात नही है...

8. यदि विवाहित है पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

आद्याक्षर अनुज्ञात नही है...

9. वर्तमान आवासीय पता, गली / पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)

....
....

....

दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या ....

10. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे है, लिखेये तिथि माह वर्ष

11. स्थाई पता, गली नं0 / थाना,ग्राम तथा जिला (पिन कोड सहित)

12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिये गये पते पर लगातार 5 वर्ष तक निवास किया है ताकि कृपया अवधि सहित निवास निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिये। आपको पिछले 5 वर्षो के दौरान प्रत्येक निवास–स्थान के लिये इस प्रारुप की अतिरिक्त फोटो प्रतियां देनी होगी। प्रारुप की फोटो प्रति दी जा सकती है, परन्तु प्रत्येक प्रारुप पर मूल फोटो तथा हस्ताक्षर आपेक्षित होगे।

.... से ....तक..........................से...तक

....

....

....

1. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया होगा उसका ब्योरा दीजिए:

....

....

....

2. अन्य विवरण :

(क) शैक्षिक अर्हताए :

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हो तो नियोक्ता नाम व पता :

(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारण :

....

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह

3. क्या आपने पूर्व किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया या उसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक अथवा निदेशक रहे है? यदि हॉ, तो अभिकरण नाम, पता तथा इसकी अनुज्ञति का ब्योरा दीजिए

4. क्या आप जन्म / विरासत / रजिस्ट्रीकरण / देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है? यदि आपके पास कोई अन्य नागरिकता थी, कृपया पूर्व नागरिकता उल्लेख करें :

....

....

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

5. क्या भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दडिक, अपराध के लिये दोष, सिद्व और कारावास के लिये दण्डदिष्ट किये गये है? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दंडित अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

....

....

18 क्या भारत में आपके विरुद्व किसी न्यायालय में किसी दंडित अपराध की कार्यवाही लम्बित है? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए

....

....

....

19. स्वत : घोषणा

इस प्रारुप तथा संलग्नकों में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिये पूर्णतया उत्तरउाई हूँ।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशालन')

तारीख

स्थान

20 संलग्नक :

....

....

....

....

....

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान')

('पुरुष बाये अंगूठे का तथा महिलायें दायें अंगूठे का निशान लागयें)

फाइल संख्या ....

चरित्र और पूर्ववृत रिपोर्ट जारी करने की तारीख...

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

थाने का नाम

जिले का नाम

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

टिप्पणी : जो लागू न हो उसे काट दे

पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट
(थानाध्यक्ष/थानाधिकारी द्वारा भरी जायेगी)

1. क्या आवेदक द्वारा दिया गया विवरण ठीक है। हॉ/नही
2. क्या चित्र में आवेदक पहचान ठीक है हॉ/नही
3. क्या आवेदक उसके द्वारा दिये गये पते पर एक वर्ष से रह रहा है हॉ/नही
4. क्या आवेदक के विरुद्व किया वाद में जांच/विचारण लम्बित है, हॉ/नही

प्रथम सूचना रिपोर्ट/जांच/विचारण लम्बित मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट	कानून की धराये	पुलिस थाना	क्या जांच/विचारण लम्बित है

5. क्या आवेदक किसी न्यायालय द्वारा सिद्व दोष ठहराया हॉ/नही

क्रम संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट	वाद संख्या	पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम	कानून की धारा	निर्णय का दिनांक	क्या उन्मोचित/दोषमुक्त/सिद्व दोष ठहराया गया

6. क्या आवेदक किसी ऐसे क्रियाकलाप में लिप्त है जो समाज विरोधी या लोक सुरक्षा/लोक व्यवस्था को घातक है (यदि हॉ, विवरण दें) हॉ/नही
7. क्या आवेदक की सामान्य छवि अच्छी है हॉ/नही
8. क्या आवेदक को किसी सरकारी सेवा से हटाया/पदच्युत किया गया है (यदि हॉ, विवरण दें) हॉ/नही

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

9. क्या आवेदक का किसी प्रतिबन्धित संघठन से कोई संबध है, हॉ/नही

10. क्या आवेदक को अनुज्ञप्ति देने में राष्ट्रीय सुरक्षा/एकता/राष्ट्र की स्थिरता को कोई खतरा उत्पन्न होगा और अनुज्ञप्ति देना हित में ही होगा हॉ/नही

(पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर)
पुलिस थाने का नाम

दिनांक
संख्या

कार्यालय की मुहर
दिनांक

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट
जिला

श्री.......................................पुत्र श्री... के चरित्र और पूर्ववृत की पुष्टि कर ली गई है

....

आवेदक ने पूर्व में व्यक्तिगत रुप से/अन्य की साझेदारी में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का परिचालन किया है/नही किया है।
विवरण निम्न प्रकार है :

....

1. आवेदक कोई विशेष अर्हता, कुशलता रखता है/नही रखता है जिससे उसका प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का परिचालन सुकर हो सके/विवरण निम्न प्रकार है :

   ....

2. इस कार्यालय कोई आपत्ति नही है यदि आवेदक श्री..........................पुत्र श्री.......................................

   को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) अधिनियम 2005 की धारा–7 के आधीन विज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है।
   या
3. यह कार्यालय आवेदक को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण की अनुज्ञप्ति स्वीकृत के लिये उपयुक्त नही पाता है।

जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर

जिला

दिनांक

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

मुहर

प्ररुप 2

(नियम 4 देखिये)

सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के

चरित्र व पूर्ववृत के सत्यापन के लिये प्रारुप

प्रथम श्रेणी के राज्यपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

आवेदक का अंगूठा निशान'.......................................

आवेदक के हस्ताक्षर ....

केवल कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिये		
प्ररुप संख्या	पुलिस सत्यापन के लिये प्ररुप प्रेषित करने के लिये पुलिस थाने का नाम	तारीख

फीस रकम रु0...............................कद/मांग देय ड्राफ्ट.....................बैंक का नाम..................मांग देय सं0

जारी करने की तारीख.............................

कृपया प्रारुप भरने से पूर्व अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़े। कृपया स्पष्ट अक्षरो में भरे (सावधान : कृप्या सही सूचना प्रस्तुत करें। फार्म में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने से उम्मीदवार निजी एजेन्सी में नियुक्ति/कामपर लगाने हेतु अनुपयुक्त माना जायेगा।)

1. आवेदक का नाम जैसा कि फोटो पहचान पत्र में होगा (आद्याक्षर नही है):
   अन्तिम नाम.............................. प्रथम नाम.............................
2. यदि आपने अपने नाम में कोई परिर्वतन किया है तो कृपया पिछले पूरे नाम (नाम) का उल्लेख करें...
3. लिंग (पुरुष/महिला)............................... जन्म तिथि...
4. जन्म–स्थान : ग्राम/टाउन..................... जिला....................राज्य व देश.........................
5. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो) अद्याक्षर नही है..
6. माता का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो)
   अद्याक्षर अनुज्ञात नही है...
7. यदि विवाहित है पति/पत्नी का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो तो)
   अद्याक्षर अनुज्ञात नही है...
8. वर्तमान आवासीय पता, गली/पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या भी दें)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

....

....

दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या ....

9. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे है, लिखिये तिथि मास वर्ष

10. स्थाई पता, गली नं0/थाना, ग्राम तथा जिला (पिन कोड सहित)

11. यदि अपने स्तभं (9) में दिये गये पते पर लगातार 5 वर्ष तक निवास नही किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिये। आपको पिछले 5 वर्षो के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त निवास स्थान के लिए इस प्ररुप की अतिरिक्त फोटो प्रतियॉ देनी होगी प्रारुप की फोटो प्रति दी जा सकती है, परन्तु प्रत्येक प्ररुप पर मूल फोटो तथा हस्ताक्षर आपेक्षित होगें।

....से..............................तक..................से..तक

....

....

....

12. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया होय उनका ब्योरा दीजिए:

....

....

....

13. अन्य विवरण :

(क) शैक्षिक अर्हताए :
(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहे हो तो नियोक्ता नाम व पता :
(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारण :

....

(घ) शरीर पर विभेदक पहचान चिन्ह

14. क्या आप केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक के उपक्रम/कानूनी निकाय में सेवारत है – हा/नही

15. क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है? यदि आपके पास कोई अन्य नागरिकता थी, कृपया पूर्व नागरिकता उल्लेख करें :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

....

....

16. क्या भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दाडिक अपराध के लिये दोष सिद्व और कारावास के लिए दण्डादिष्ट किये गये है? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

....

....

17 क्या भारत में आपके विरुद्व किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाही लम्बित है? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए

....

....

18. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई वारंट या उपस्थिति के लिए सम्मन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने की विषेधाज्ञा जारी की गई है? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए

....

....

19. स्वत : घोषणा

इस प्रारुप तथा संलग्नको में दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिये पूर्णतया उत्तरदाई हूँ।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान')

तारीख

स्थान ....

(पुरुष बायें अंगूठे का तथा महिलायें दायें अंगूठे का निशान लगायें)

20. मृत्यु अथवा दुर्घटना में स्थिति में सूचना देने के लिये व्यक्ति का ब्योरा

नाम...

पता...

....

मोबाइल नं0/दूरभाष नं0...

....

21. अनुलग्नक ....

....

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

....

....

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान')

'केवल कार्यालय के प्रयोग के लिये
फाइल संख्या ....

चरित्र और पूर्ववृत रिपोर्ट जारी करने की तारीख...

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
थाने का नाम ....
जिले का नाम...

टिप्पणी : जो लागू न हो उसे काट दें।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

प्ररुप 3
(नियम 4 देखिये)
चरित्र और पूर्ववृत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री ....
पुत्र/पुत्री...
जिसका ब्योरा निम्नलिखित है, अच्छे नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के है, और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर रहा है।

जन्म तिथि :

जन्म स्थान :

शैक्षिक अर्हता :

व्यवसाय :

वर्तमान पता :

स्थाई पता :

जारीकर्ता अधिकारी

हस्ताक्षर

नाम :

जारी करने की तारीख :

पता/दूरभाष संख्या :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

पदनाम :

प्ररुप 4
(नियम 5 देखिये)

क्रम संख्या

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम
प्रषिक्षण अभिकरण का पता
अनुज्ञप्ति संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री ....
पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी...
.... ने ....
से .... तक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के रुप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए निधारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यंकित हैं।

प्रमाण –पत्र धारी के हस्ताक्षर

जारी प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम :

जारी करने का स्थान :

जारी करने की तारीख :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

प्ररुप 5

(नियम 8 देखिये)

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय का व्यवसाय करने के लिये नई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी

....

....

अधोहस्ताक्षरी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में प्रचालन सेवाओं का करोबार चलाने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है :–

1–आवेदक का पूरा नाम :

2–आवेदक की राष्ट्रीयता :

3–पुत्र /पत्नी /पुत्री श्री

4–आवासीय पता

5–पता जहॉ आवेदक अपना अभिकरण प्रारम्भ करने का इच्छुक है।

6. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम
7. अभिकरण के स्वत्वधारों, भागीदार, बहुसंख्यक शेयर धारक, निदेशक तथा अध्यक्ष का नाम तथा पता :
8. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार
9. अनुदेश देने के लिए लगे कर्मचारीवृंदो की अर्हताएं

   नाम ....

   आयु..

   पदनाम...

10. संरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपस्कार

    (क) द्वार पर लगाये जाने वाले धातू संसूचक

    (ख) हाथ वाले धातू संसूचक

    (ग) बारुदी सुरंग संसूचक

    (घ) अन्य सूंसचक

        (i) बेतार दूरभाष

        (ii) संचेतक युक्तियां

        (iii) बखरबंद यान

        (iv) शस्त्र

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

11. वर्दी के ब्योरे जिसक अन्तर्गत रंग भी है यदि आवेदक के निजी सुरक्षा गार्डो पर्यवेक्षको के लिए कोई वर्दी प्रयोग करने का आशय रखता है।

12. क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचलित का इरादा रखता है? यदि हॉ तो जिले के नाम

13– 1..........................2..............................3................................4..................................5

14– क्या आवेदक सम्पूर्ण राज्य में प्रचालन का इरादा रखता है?

15– क्या आवेदक स्वयं प्रशिक्षण सुविधा रखता है अथवा बाहर से प्रशिक्षण दिलायेगा?

प्रशिक्षण सुविधा देने वाले का नाम व पता दीजिए।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक दूरभाष नं0

आवेदक की तारीख

अनुलग्नक :

1. चाले आयकर निकास की प्रमाण–पत्र की प्रति
2. अधिनियम की धारा – 7 की उपधारा (2) में यथाविहित शपथ–पत्र
3. अन्य संलग्नक

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

प्ररुप 6

(नियम 8 देखिये)

राज्य सरकार का नाम

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का करोबार करने के लिये अनुज्ञप्ति

क्रम संख्या ....

तारीख............................

श्री/सुश्री .... (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री
श्री.. निवासी...
....को .... पते पर
(कार्यालय का पता)

स्थित कार्यालय से ....
जिले/राज्य (जो लागू न हो उसे काट दें) मैं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय के प्रचालन के लिए .... राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

जारी करने का स्थान :
जारी करने की तारीख :

यह अनुज्ञप्ति .... तक वैध है।

हस्ताक्षर
अनुदत्त प्राधिकारी का नाम :
पदनाम :
कार्यालय का पता

नवीकरण

(नियम 8 देखिये)

नवीकरण की तारीख :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

हस्ताक्षर
नवीकरण अधिकारी का नामः
पदनामः

कार्यालय का पता

प्ररुप 7
(नियम 14 देखिये)
अपील के लिए प्ररुप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील

अपीलकर्ता...

....

पुत्र/पुत्री..

निवासी...

....

....

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी...

....तारीख...

के..(नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश और................................

....(प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नाम) के प्रचालन के लिए

अनुज्ञप्ति अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरुद्व उपयुक्त अपीलकर्ता...

....(राज्य के गृह सचिव) को अपील करते है, और आदेश के विरुद्व आपात्ति के निम्नआधार दिये गये है।

1...
2...
3...
4...

संलग्नक दस्तावेजों की सूची :
....
तारीख
स्थान

हस्ताक्षर
अपीलकर्ता का नाम व पदनाम :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

प्ररुप 8

(नियम 15 देखिये)

यौरा रजिस्टर

(भाग–1 प्रबन्धक विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	माता–पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्त/छोड़ने की तारीख

(भाग–2 प्राईवेट सुरक्षा गार्ड तथा सुपरवाइजर)

क्रम संख्या	पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटोग्राफ	बैज संख्या	तारीख सहित वेतन
1								
2								

(भाग–3 ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम और फोन नं0	स्थान का नाम जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है	उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारम्भ करने की तारीख	सेवा समाप्ति की तारीख

(भाग–4 डयूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	प्राइवेट सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र/गोला–बारुद उपलब्ध कराये गये है	सेवा प्रारम्भ करने की तारीख और समय	सेवा समाप्ति की तारीख और समय

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

प्ररुप 9
(नियम 16 देखिये)
निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक के लिये फोटो पहचान पत्र

जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सम्यक रुप में प्रमाणित पहचान पत्र धारक का हस्ताक्षर

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम ....

नाम...

कार्यालय पदनाम ....

पहचान संख्या...

जारी करने की तारीख...

....

तक वैद्य है

पहचान पत्र धारक के हस्ताक्षर ....

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)